न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S

राजस्व वाद संख्या :– 75/23 (प्रा.पत्र)

GCMS No :– 2023/276

अनवान

1 श्रीमती वदामी बाई पत्नी वजेराम जाट निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

..........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री गोवर्धनलाल पिता रामेश्वर लाल कुमावत निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.
2. श्रीमती गंगा बाई पुत्री रामेश्वर लाल कुमावत निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती भेरी बाई पत्नी गोवर्धन लाल कुमावत निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री वजेराम पिता रामेश्वरलाल कुमावत निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती वरदी बाई पत्नी रामेश्वरलाल कुमावत निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री विष्णु पिता रामेश्वरलाल कुमावत निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री शान्तिलाल पिता रामेश्वरलाल कुमावत निवासी बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
8. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–

1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13.05.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बड़गांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. के खाता संख्या 403 की आराजी न.

1951, 1952 किता 2 रकबा 0.7500 है भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। ग्राम बडगांव ... रास्ता हमारे खेतो पर जाने का आम रास्ता है उसके दक्षिण दिशा में ... जिसके आराजी न 1941 है, से होता हुआ विपक्षीगण की आराजी न. 1942 के उत्तरी-पूर्वी कोने से होकर पूर्व-पश्चिम रास्ता जिसकी चौडाई करीब 20 फीट है ... रास्ते का उपयोग-उपभोग प्रार्थीया एवं उसके पूर्वाधिकारी सदीप से करते ... हैं। इस रास्ते को विपक्षीगणों ने संकडा कर दिया तथा रास्ते की हकाई कर दी जिस कारण प्रार्थीया अपने हल, बेलगाडी, सामद, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए सुगम एवं सरल तरीके से उपयोग नही कर पा रहे है। प्रार्थीया के पूर्वाधिकारी भी इस रास्ते का ही उपयोग उपभोग उनकी कृषि भूमि पर आने जाने के लिये करते थे एवं उक्त रास्ते का उपयोग वर्तमान में प्रार्थीया कर रही है। उपरोक्त संसाधन ले जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम, सरल, रास्ता भी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी आराजी न. 1951, 1952 में आने-जाने, हल, बेलगाडी, सामद ले जाने के लिए विपक्षी की आराजी न. 1942 रकबा 0.7300 है. की उत्तरी पाली पर से 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि आराजी न. 1951, 1952 तक कायम किये जाने व उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 4, 6, 7 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह गलत है कि आराजी न. 1941 में से होकर विपक्षीगण की आराजी न. 1942 के पूर्वी-उत्तरी कोने से 20 फीट का सदीप का रास्ता प्रार्थीया के खेतो तक आने जाने का रास्ता हो जब विपक्षीगणों की आराजी में किसी प्रकार का रास्ता ही नहीं है तो उसमें कब्जा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है न ही उक्त आराजी में कभी प्रार्थीया हल, बेलगाडी, सामद, ट्रेक्टर आदि लेकर गई। प्रार्थीया के कथित आ.न. 1951-1952 में पहुंचने हेतु आराजी न. 1928 स्थित रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित आराजी न. 1927 स्थित रास्ते से आवागमन होता है, ना कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित विपक्षी की आराजी न. 1942 से। यह कि प्रार्थीया ने मनगढत एवं बिना किसी विधिक अधिकार के मिथ्या कथन किये है जैसा कि पूर्व की कलमों में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थना पत्र की कलम न. 3 में वर्णित अनुसार किसी प्रकार का रास्ता मौजूद ही नहीं है तो उसे रोकने का सवाल ही नहीं। प्रार्थीया के यह कथन भी मिथ्या है कि प्रार्थीया की आराजी में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है जबकि आराजी न. 1928 स्थित रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ता जिसके आराजी न. 1927 से ही आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा उक्त कलम मे चिन्हित रास्ते अंकित है साथ ही गलत एवं वास्तविक स्थिति से भिन्न नजरी मानचित्र पेश किया है।

3. यह कि प्रार्थीया की आराजी पर पहुचने के लिये पहले सही सुगम रास्ता उपलब्ध है जो कि बडगांव से नेशनल हाईवे जाने वाले आम रास्ते जिसके आराजी न. 1928 है जिसके दक्षिण दिशा से शुरू होता है जो आराजी न. 1929, 1937, 1938, 1939 के पश्चिम दिशा से होता हुआ प्रार्थीया की आराजी न. 1951, 1952 तक पहुचता है यहां पर यह कहना उचित है कि आराजी न. 1927 से आराजी न. 1953, 1954 जो कि प्रार्थीया के कब्जे की भूमि है जिससे होकर आराजी न. 1951, 1952 में पहुचा जाता है अर्थात प्रार्थीया की आराजी न. 1951, 1952 के अलावा सभी आराजी एक चक है। रास्ता सदीप से गाडीगडार के रूप में चला आ रहा है जो करीबन 20 फीट चौडा होकर प्रार्थीया के साथ अन्य काश्तकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रर्थीया के खेतो पर पहुंचने का रास्ता आ.न. 1927 वर्णित स्थित रास्ते के रूप में उपलब्ध होने से प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की राजस्व ग्राम बडगांव में आराजी संख्या 1951, 1952 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7500 है. किस्म बारानी प्रथम खातेदार बादामी बाई पत्नी वजेराम जाट सा. देह होकर रिकार्ड है। उक्त प्रार्थी खातेदार द्वारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आराजी 1928 किस्म रास्ता से होते हुए अन्य खातेदारी आराजी 1942 रकबा 0.7300 है. किस्म चाही द्वि. जो कि गावेर्धनलाल, वजेराम, विष्णु, शांतिलाल पिता रामेश्वरलाल कुमावत वगरह की खातेदारी में से 20 फीट चौडा रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी न. 1942 में से रास्ता 689.3 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी डी.एल.सी. दर 2451000/– है. के अनुसार जमा योग्य राशि 338250/–बताई गणना निम्नानुसार है–

खसरा सं.	1942	किता –01
क्षैत्रफल (वर्ग मीटर)	113 X 6.1	689.3

तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु अन्य न्युनतम रास्ता बिलानाम रास्ता आराजी 1927 से होते हुए शंभुलाल पिता पृथ्वीराज वगैरह की खातेदारी आराजी 1903 में से 414.8 वर्ग मीटर भूमि रास्ता [illegible] प्रस्तावित की जिसकी डी.एल.सी. दर 2451000/– है. के अनुसार जमा योग्य राशि [illegible]/– बताई प्रस्तावित किया गया जिसकी गणना निम्नानुसार है–

खसरा सं.	1903	किता –01
क्षैत्रफल (वर्ग मीटर)	68 X 6.1	414.8

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

5. तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं होने से की प्रार्थी द्वारा ... कदमी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है जिससे कदमी रास्ते के संबंध में रिपोर्ट ... करने हेतु लिखा गया जिससे तहसीलदार भीण्डर द्वारा पुन: रिपोर्ट पेश कर बताया ... प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये विक्रय पत्र अनुसार साबिक आराजी 769 के दर्ज ... में पुर्व दिशा में आम रास्ता होकर विक्रय पत्र में दर्ज रिकार्ड है जिसमें मिलान ... अनुसार नवीन आराजी 1953 रकबा 0.44 है. 1954 रकबा 0.29 है क्रेता खातेदार ... वजेराम पिता गमेरा 1/3 जाट दर्ज रिकॉड है। विक्रय पत्र से अपेक्षित खातेदारी ... आराजी 1951, 1952 तक पहुंच हेतु रास्ता पूर्व में आराजी 1942 में से होते हुए कदमी ... रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा ... रिपोर्ट में बताया कि मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडौसी खातेदारों द्वारा बताए ... अनुसार विगत कई वर्षो से कदमी रास्ता आराजी 1941 व 1942 में से होना बताया गया ... है साथ ही बताया कि पूर्व में कदमी रास्ते के रूप में आराजी 1941 एव 1942 में होना ... बताया परन्तु पिछले 4–5 वर्षो से उक्त रास्ते को बन्द करना बताया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी में ... पूर्व से उपयोग में आ रहें कदमी रास्ते के बन्द करने से मजबूरी वश अन्य रास्ते 1927 आराजी से होते हुए 1903 में से जाना बताया गया है। अप्रार्थी व अन्य कुछ लोगों द्वारा उक्त किसी भी प्रकार के कदमी रास्ते का नहीं होना बताया गया है।

6. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) RRT 1375 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER AJAY & ANR. VS BHAJANARAM & ORS. RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955 – SECTION 251-A. APPLICATION FOR GRANTIND WAY FROM THE LAND OF THE PETITIONER WAS ALLOWED AND GRANTED WAY- AVAILABILITY OF ALTERNATIVE WAY NOT PROVED AND THE SITE REPORT PREPARED BY ILR DO NOT SHOW ANY PRESENCE OF ANY ALTERNATIVE WAY- HELD, ORDER DORS NOT SUFFER FROM ANY PERVERSITY. पेश किये। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2016-17(SUPP.) RRT 677 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER PRITAM SINGH VS.MENPAL &ANR. RAJASTHAN TENACY ACT, 1955-SEC. 21-A- APPLICATION TO GRANT WAY WAS ALLOWED-REVISION-FOR GRANTING NEW WAY TOW FACTORS ARE NECESSARY(1) NECESSITY SHOULD BE ABSOLUTE & NOT MERE CONVENIENT (2) ALTERNATIVE WAY SHOULD NOT BE AVAILABLE INSPECTION OF SITE BY THE TEHSILDAR OR THE PERSON NOT BELOW THE RANK OF I.L.R.-NO PROPER SITE REPORT AVAILABLE ON RECORD NECESSARY POINTS NOT EXAMINED-HELD, ORDER SET ASIDE & CASE REMANDED. पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bakediya
Date: 2025.07.03 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

मने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। ...

पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर प्रार्थी की खातेदारी आराजी न. 1951, 1952 रकबा 0.7500 है भूमि मे आने–जाने हल, बैलगाडी आदि ले जाने के लिये विपक्षी की आराजी न 1942 में से 20 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन कहा कि उक्त रास्ते का उपयोग ही आने–जाने व हल, बैलगाडी ले जाने के लिये करता है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये बताया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुचने के लिये अन्य रास्ता आराजी न 1928 से है जिसके दक्षिण दिशा से शुरू होता है जो प्रार्थी की आराजी न 1952 तक पहुंचता है। प्रार्थी व विपक्षीगण के उक्त कथनो के संबध मे जब हम तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन करते है तो पाते है कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी आराजी न 1951, 1952 में पहुंच हेतु आराजी न 1942 मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है साथ ही अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी न 1903 मे से प्रस्तावित किया गया हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा कदमी रास्ते के संबध में अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये विक्रय पत्र अनुसार साबिक आराजी 769 के दर्ज पडौस में पुर्व दिशा में आम रास्ता होकर विक्रय पत्र में दर्ज रिकार्ड है जिसमें मिलान हो अनुसार नवीन आराजी 1953 रकबा 0.44 है, 1954 रकबा 0.29 है. क्रेता खातेदार वजेराम पिता गमेरा 1/3 जाट दर्ज रिकॉड है। विक्रय पत्र से अपेक्षित खातेदारी आराजी 1951, 1952 तक पहुंच हेतु रास्ता पूर्व में आराजी 1942 में से होते हुए कदमी रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडौसी खातेदारों द्वारा बताये अनुसार विगत कई वर्षो से कदमी रास्ता आराजी 1941 व 1942 में से होना बताया गया है साथ ही बताया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी में पूर्व से उपयोग में आ रहें कदमी रास्ते के बन्द करने से मजबूरी वश अन्य रास्ते 1927 आराजी से होते हुए 1903 में से जाना बताया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी न. 1951, 1952 में आने–जाने हेतु पुर्व में स्थित रास्ता जो आराजी न. 1942 से है जो प्रार्थीया की अपनी आराजी पर आने–जाने हेतु कदमी रास्ता भी है का उपयोग किया जा रहा है। तहसीलदार भीण्डर की उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि साबिक आराजी न. 769 के पूर्व में आम रास्ता हैं जिसका उपयोग कदमी रास्ते के रूप में होना भी बताया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी उक्त रास्ते का उपयोग सदीप से होना कहा [illegible] की ताईद तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है। तहसीलदार भीण्डर [illegible] दर्शाया अन्य वैकल्पिक रास्ता जो आराजी न. 1953 तक पहूंच है [illegible] आराजी न. 1951, 1952 में पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थनग्रस्त भूमि आराजी न. 1951, 1952 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 1942 में से रास्ता दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

उचित प्रतित होता हैं। अतः खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वडगांव पटवार हल्का वडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. के खाता संख्या 403 की आराजी न. 1951, 1952 किता 2 रकबा 0.7500 है. भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 1942 में से (ल.Xचौ.) 113 X 6.1= 689.3 वर्ग मीटर का रास्ता (रास्ता न. 1) प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 2451000/– अक्षरे चोईस लाख इकावन हजार रूपयें प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 169125/– रूपये का दुगुना 338250/– रूपयें तीन लाख अडतीस हजार दो सौ पच्चास रूपयें की राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 7 को हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें उक्त राशि विपक्षीगण को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलाना गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

भीण्डर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested